



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढ़ा समिति

(पीएसीएल लिमिटेड और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में)

सूचना (नोटिस)

समिति द्वारा तारीख 27.08.2016 और 30.09.2016 की सूचना (नोटिस) के माध्यम से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित की गई थी जिसकी बाबत संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज वेबसाइट (www.auctionpacl.com) पर अपलोड किए गए थे।

सूचनाओं के अनुसार विभिन्न संपत्तियों के संबंध में ई.ओ.आई. प्राप्त हुई। प्राप्त ई.ओ.आई. के आधार पर, जिन संपत्ति दस्तावेजों के लिए एक से अधिक ई.ओ.आई. प्राप्त हुई है तथा कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई है, समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में समिति ने तीन एजेंसियों को अनुबंधित किया है और सम्पत्ति दस्तावेजों को इनके बीच ई-नीलामी के शीघ्र संचालन के लिए राज्यवार वितरित किया है। एजेंसियों के बीच राज्यों के वितरण और एजेंसियों की वेबसाइटों का विवरण निम्नलिखित है :

| क्रम स. | एजेंसी का नाम | राज्य जहाँ संपत्तियाँ स्थित है |
|---------|--|--|
| 1 | यू.टी.आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और सर्विसेज लि. वेबसाइट: www.paclpropertiesutiitsl.com ई-मेल : paclpropertysale@utiitsl.com | चंडीगढ़, गोवा, कर्णाटक, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब |
| 2 | एच.डी.एफ.सी. रियल्टी लि. वेबसाइट : http://hdfcrealty.com/auctions ई-मेल : sales@hdfcrealty.com | तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश |
| 3 | एस.बी.आई. केपिटल मार्केट लि. वेबसाइट : https://pacleauction.abcprocure.com ई-मेल : FA@abcprocure.com | दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड |

संपत्तियों में अभिरुचि की अभिव्यक्ति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संपत्तियों की ई-नीलामी संबंधित नियम व शर्तें एवं प्रक्रिया इत्यादि का विवरण उपरोक्त संबंधित एजेंसियों के द्वारा ई-मेल से तथा संबंधित एजेंसियों की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

धन वापसी (रिफंड) के संबंध में

जनता को यह भी सूचित किया जाता है कि रिफंड कि प्रक्रिया की शुरुआत एक पर्याप्त रकम की प्राप्ति पर की जाएगी। जिसके उपरान्त एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से समिति दावे आमंत्रित करेगी। तब तक निवेशकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने दस्तावेजों को अपने पास रखें और उन्हें किसी भी कारण के लिए अन्य व्यक्ति को न दें।

समिति के सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने के बाद ही एक निर्दिष्ट प्रारूप में दावे से संबंधित दस्तावेज स्वीकार किए जायेंगे।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 27.11.2016

नोडल अधिकारी—सह—सचिव